



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3901]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 4, 2019/अग्रहायण 13, 1941

No.3901]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 4, 2019/AGRAHAYANA 13, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4345(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार की राय है कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक अथवा लाभदायक है, अतः वह एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और अनुप्रयोग- (1) इस आदेश को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का उपयोग करने वाले घरेलू गैस स्टोव (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

(3) यह आदेश तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामानों पर लागू होगा, किन्तु निर्यात की जाने वाली उक्त वस्तुओं या सामान पर इनमें से कुछ भी लागू नहीं होगा।

2. मानक का अनुपालन और मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- इस तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें बीआईएस (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – ब्यूरो तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन करने पर जुर्माना – इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंड का भागी होगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का उपयोग करने वाले घरेलू गैस स्टोव	आईएस 4246:2002	लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का उपयोग करने वाले घरेलू गैस स्टोव-विशिष्टि

नोट : इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण ब्यूरो द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू होंगे। ।

[सं. 15(15)/2017-सीआई]

मनमीत के. नंदा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry & Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 3rd December, 2019

S.O. 4345(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely:-

- Short title, commencement and application.** – (1) This Order may be called the Domestic Gas Stoves for use with Liquefied Petroleum Gases (Quality Control) Order, 2019.
(2) This order shall come into force with effect from 1st June, 2020.
(3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table, but nothing herein shall apply to such goods or articles meant for export.
- Conformity to Standard and Compulsory use of Standard Mark.**- Goods or articles specified in the column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in the column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- Certification and Enforcement Authority.**- In respect of the goods or articles specified in the column (1) of the Table, the Bureau shall be the certifying and enforcing authority.
- Penalty for Contravention.** - Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Domestic Gas Stoves for use with Liquefied Petroleum Gases	IS 4246:2002	Domestic Gas Stoves for use with Liquefied Petroleum Gases- Specification

Note : For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from date as notified by the Bureau.

[No. 15(15)/2017-CI]

MANMEET K. NANDA, Jt. Secy.